

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मदालत आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

सरकार बनाम सरश्रीमती मम शर्मा

मुकदमा 128 मु० नं० 42/18

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/19	<p>पत्रावली पेश की। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/रद्द किया गया। जज कोर्ट में व्यस्त/दौरे पर होने के कारण, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक..... को पेश की।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व पेशीकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अखलौकन किया। बहस का मनन किया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध मूल जमाबंदी से विवादित भूमी प्रार्थी कि खातेदारी कि भुमी होना स्वीकार है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भुमी पर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। न्यायक्षेत्र में उक्त भूमी का सीमाज्ञान करके पत्थर गढ़ी कराना जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 128 L.R.A एवं स्वीकार किया जाता है। तथा विवादित भुमी ख. न. 7, 8, 9, 10, का रमा जगसधमपुरा तहसील- सिकराय, जि०-दौसा का नियमानुसार शुल्क लेकर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करी जाते हैं आदेश तहसीलदार सिकराय को दिखे जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल सुफार होकर नम्बर से कम है। निर्णय भेजे द्वारा लिखाव जाकर शुल्क न्यायालय में सुनाया जा कर विख्यात गया।</p> <p style="text-align: right;">उपरिष्ठ अधिकारी सिकराय जिला-दौसा</p>	